

## Application Form

### आवेदन-पत्र

National Means Cum Merit Examination 2020-21, State Madhya Pradesh

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 2020-21, राज्य-मध्यप्रदेश

(Only for the students who are studying in class 8<sup>th</sup> in schools conducted by govt./govt. aided, local bodies)

(केवल म.प्र. में स्थित शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2020-21 में कक्षा 8<sup>वीं</sup> में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए)

(नोट- अंतिम पृष्ठ पर अंकित निर्देशों का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक आवेदन-पत्र भरें।)

अनुक्रमांक 12 डिजिट में (केवल आफिस कार्य हेतु)

परीक्षा का कोड

3

राज्य का कोड

3 8

वर्ष

2 1

केन्द्र का कोड

सरल क्रमांक

जन्म तिथि

दिनांक

माह

वर्ष

- विद्यालय (जहाँ परीक्षार्थी अध्ययनरत है) का डाइस कोड-\*

- परीक्षार्थी का समग्र आई.डी.नंबर- (अनिवार्य)\*

- परीक्षार्थी का आधार नंबर\*

(Stericcolumns are mandatory)

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) .....

अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में (नाम व उपनाम के बीच एक ब्लाक रिक्त छोड़े)

2. पिता का नाम (हिन्दी में).....

अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में (नाम व उपनाम के बीच एक ब्लाक रिक्त छोड़े)

3. माता का नाम (हिन्दी में) .....

अंग्रेजी के केपिटल अक्षरों में (नाम व उपनाम के बीच एक ब्लाक रिक्त छोड़ें)

4. लिंग 5. क्षेत्र जहाँ आवेदक रहता है 6. आवेदक की जाति(नोट-अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी सामान्य वर्ग में मान्य होंगे)

1

2

1

2

1

2

3

महिला पुरुष

ग्रामीण शहरी

सामान्य (GEN)

अ.जा. (SC)

अ.ज.जा (ST)

क्रमांक 6 की जानकारी के लिये (आवेदक स्वयं के नाम का संबंधित जाति प्रमाण पत्र लगायें)

आवेदक यहाँ अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो चिपकायें एवं अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित कराए।

7. क्या निःशक्तजन श्रेणी में आरक्षण हेतु विद्यार्थी 40% या इससे अधिक विकलांग है 1 2  
हाँ नहीं
8. यदि हाँ, तो निःशक्त विद्यार्थी की विकलांगता का प्रकार (प्रमाण पत्र लगाये) 1 2 3 4 5 6  
अस्थि बाधित, श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, मानसिक बहु कोई नहीं विकलांगता विकलांगता
9. विद्यालय का नाम एवं पता जहाँ आवेदक कक्षा आठवीं में पढ़ रहा है (हिन्दी में) .....

.....संकुल केन्द्र .....

ब्लाक.....जिला.....पिन .....

अंग्रेजी में (केपीटल अक्षर में)

संकुल केन्द्र																				
विकासखण्ड																				
जिला																				

पिन-                  

10. विद्यालय का प्रकार जहाँ आवेदक कक्षा आठवीं में पढ़ रहा है 1 2 3  
शासकीय स्थानीय निकाय शासकीय अनुदान प्राप्त
11. क्षेत्र जहाँ स्कूल स्थित है 1 2  
ग्रामीण शहरी

- 12.परीक्षा का माध्यम 1 2  
हिन्दी अंग्रेजी

13. पिता की शिक्षा   14. पिता का व्यवसाय
15. माता की शिक्षा   16. माता का व्यवसाय

17. माता पिता या पालक का मोबाईल नं.

- 18.माता-पिता की सकल वार्षिक आय (अंकों में) रूपये ..... शब्दों में .....

- 19.माता-पिता की सकल वार्षिक आय का वर्गीकरण 1 2 3

रू. 50000 तक (रूपये 50001 से 100000 तक) (रूपये 100000 से 150000 तक)

20. विद्यालय/संकुल केन्द्र का टेलीफोन न. -

         

एस.टी.डी.कोड

                   

फोन नंबर

21.ई-मेल

22. छात्र का खाता क्र.

\*बैंक का नाम\*

शाखा का नाम \*

आईएफएससी कोड\*

(Steric colomns are mandatory)

### संकुल प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक का प्रमाणीकरण

- प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु .....शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालय का/की नियमित छात्र/छात्रा है।
- विद्यार्थी ने  ग्रेड प्राप्त कर सातवीं कक्षा उत्तीर्ण की है (केवल A,B,C ग्रेड प्राप्त)
- विद्यार्थी के माता-पिता की सकल वार्षिक आय रुपये 1.50 लाख (अक्षरों में एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं है।
- प्रमाण पत्र के अनुसार श्री /कु.....की जाति अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति है। (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिके अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाए)
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण पत्र के अनुसार श्री/कु. ....निःशक्त श्रेणी के (विकलांग) है। इनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या इससे अधिक है।
- प्रधानाध्यापक का मोबाईल नं.
- संकुल प्राचार्य का मोबाईल नं.
- उक्तानुसार आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारी का मिलान कार्यालयीन रिकॉर्ड से कर लिया गया है।

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम .....

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर

नाम .....

पद मुद्रा सहित

संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर

नाम .....

पद मुद्रा सहित

## आवेदन पत्र भरने के निर्देश

NMMSSचयन परीक्षा का आवेदन पत्र भरने से पहले नीचे दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें –

1. NMMSSयोजना के तहत आवेदन पत्र भरने हेतु पात्रता की शर्तें –
  - इस छात्रवृत्ति हेतु केवल म.प्र. में स्थित शासकीय/शासकीयअनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2020-21 में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही पात्र है।
  - विद्यार्थी ने कक्षा 7वीं में A,B अथवाC ग्रेड प्राप्त किया हो।
  - विद्यार्थी के माता-पिता की सकल वार्षिक आय रु. 1,50,000/- या उससे कम हो।
2. केवल नीले या काले बाल पेन से ही आवेदन पत्र भरें। अंग्रेजी में केवल केपिटल अक्षरों का ही प्रयोग करें। बाक्स से बाहर न लिखें।
3. बिन्दु क्र. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19 में सही स्थान के लिए बॉक्स में ✓ का निशान लगाए।
4. बिन्दु क्र. 13, 14, 15, 16 में कोड क्र. नीचे दी गई तालिका में दिए गए विवरण अनुसार भरें।

### कोडिंगप्लान

माता-पिता की शिक्षा बिन्दु क्र. 13 एवं 15		माता-पिता का व्यवसाय बिन्दु क्र. 14,16	
शिक्षा	कोड	व्यवसाय	कोड
अनपढ़/पूर्व प्राथमिक स्तर तक	1	व्यवसायी, तकनीकी और इससे संबंधित	1
प्राथमिक स्तर तक	2	प्रशासनिक, प्रबंधकीय	2
उच्चतर प्राथमिक(मिडिल) तक के लिए	3	लिपिकीय या संबंधित कार्य	3
माध्यमिक (सेकेण्डरी) स्तर तक	4	सेल्स/सर्विस वर्कर	4
उच्चतर माध्यामिक(सीनियर सेकेण्डरी) तक के लिए	5	किसान, मछुआरा या संबंधित कार्य	5
स्नातक (ग्रेजुएशन)	6	उत्पादक और परिवहन व उससे संबंधित कार्य	6
स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन)	7	ऑपरेटर और श्रमिक जो उपर्युक्त श्रेणी में सम्मिलित नहीं	7
डाक्टोरेट (पी.एच.डी.)	8	बेरोजगार	8
व्यवसायिक (इंजीनियर, चिकित्सक, एमसीए, एमबीए)	9		
अन्य कोई	10		

5. आवेदन पत्र में नियत स्थान पर विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो अच्छी तरह चिपकाया जावे तथा प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यार्थी के फोटो पर नीचे की ओर हस्ताक्षर एवं उसके नीचे पदमुदा से इस प्रकार सत्यापित किया जावे कि फोटो में विद्यार्थी का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
6. संकुल प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक के प्रमाणीकरण में यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो संबंधित प्रविष्टि करते हुए जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जावे।
7. NMMSS छात्रवृत्ति योजना के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को भारत सरकार द्वारा आरक्षण नहीं दिया जाता है, वरन उन्हें सामान्य वर्ग में ही मान्य किया जाता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र

विद्यार्थी आवेदन पत्र के बिंदु क्रमांक 6 में सामान्य के खाने में  $\sqrt{\quad}$  का निशान लगाएं तथा उन्हें पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

8. निःशक्तजन (विकलांग) श्रेणी के आरक्षण की पात्रता 40% या अधिक विकलांगता रखने वाले विद्यार्थी को है। अतः विकलांग श्रेणी के आवेदक द्वारा सक्षम अधिकारी के निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जावे।
9. आवेदन पत्र सही-सही भरा जावे तथा विद्यार्थी/आवेदक के हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा तथा संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर प्रमाणीकरण कराया जावे। तत्पश्चात अपने क्षेत्र के निकटतम कियोस्क केन्द्र पर जाकर भरे हुए आवेदन पत्र की प्रविष्टि ऑनलाइन भरवाई जाये। प्रत्येक आवेदन पत्र की प्रविष्टि उपरांत पावती (रसीद) की दो प्रति प्रदान की जावेगी। इसकी एक प्रति विद्यार्थी के पास तथा दूसरी प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर इसे संकुल प्राचार्य के कार्यालय में जमाकर एक वर्ष तक सुरक्षित रूप से रखा जावेगा।
10. NMMSS परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरांत अर्ह घोषित किए गए विद्यार्थी का आवेदन पत्र जो पूर्व निर्देश अनुसार संकुल प्राचार्य कार्यालय में सुरक्षित रहेगा। विहित आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र तथा संबंधित छात्र के निकटतम भारतीय स्टेट बैंक (SBI) या राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए बचत खाते एवं बैंक शाखा के आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि की सही जानकारी एवं पासबुक से संबंधित पृष्ठ की छायाप्रति सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करें, जहाँ इसे छात्रवृत्ति अवधि में (4 वर्ष तक) सुरक्षित रखा जावेगा। आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ कार्यालय को उपलब्ध करवायेंगे।
11. म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक F/4112 R/08/बीस-2/भोपाल दिनांक 31.12.2008 अनुसार NMMSS छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक द्वारा विहित प्रारूप में दिए गए शपथ पत्र को आय-प्रमाण पत्र के रूप में मान्य किया जाएगा।  
(प्रारूप संलग्न)
12. आवेदन पत्र की Online प्रविष्टि के समय प्रत्येक विद्यार्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन किए जाएंगे। इस हेतु प्रत्येक विद्यार्थी की पासपोर्ट साइज के एक अतिरिक्त फोटो के साथ कियोस्क पर उपस्थिति आवश्यक होगी। आधार कार्ड पर लगा फोटो स्कैनिंग के लिए मान्य नहीं होगा।